विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 365 दुर्ग, दिनांक 14/10/2026

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: **107**
दिनांक: 08/05/2026

अधीक्षण यंत्री,
नगर निगम भिलाई,
बी.पी. क्रमांक : 1001578003

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन यंत्री, भिलाई सिटी डिवीजन वेस्ट।
2. सहायक यंत्री, नेहरू नगर जोन।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 01 / 10 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक द्वारा नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित विद्युत कनेक्शन, बी.पी. क्रमांक 1001578003, स्वीकृत भार 14 अश्व शक्ति, के विद्युत देयक में त्रुटिपूर्ण बिलिंग किए जाने के संबंध में शिकायत प्रस्तुत की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्य निर्विवाद हैं :–

1. उक्त विद्युत कनेक्शन नगर निगम भिलाई के अंतर्गत वाटर वर्क्स प्रयोजन हेतु स्थापित है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का स्वीकृत भार 14 अश्व शक्ति है।

3. जुलाई 2025 में उक्त विद्युत कनेक्शन में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

3. आवेदक की शिकायत

आवेदक का कथन है कि मार्च 2025 से मई 2025 तक की अवधि में 1,073 यूनिट के आधार पर विद्युत देयक जारी किए गए, जबकि उक्त बिलिंग उचित मीटर रीडिंग एवं स्थल सत्यापन पर आधारित नहीं थी। अतः उक्त अवधि की बिलिंग की जांच कर आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा दिसंबर 2022 से अगस्त 2026 तक की मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदकगण के अभिलेखों के अनुसार, उक्त विद्युत कनेक्शन में जुलाई 2025 में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या मीटर खराब रहने की अवधि में औसत खपत के आधार पर की गई बिलिंग उचित थी?

2. क्या मीटर खराब रहने की अवधि में लगाया गया पावर फैक्टर अधिभार उचित था?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा अनावेदकगण के प्रस्तुत दस्तावेजों, मीटर रीडिंग डायरी एवं बिलिंग गणना पत्रक का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के परीक्षण से निम्नलिखित तथ्य एवं निष्कर्ष सामने आते हैं :–

6.1. मीटर खराब रहने की अवधि की बिलिंग

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि उपभोक्ता के परिसर में स्थापित विद्युत मीटर मार्च 2025 से मई 2025 तक खराब रहा। उक्त अवधि में औसतन 1,073 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर बिलिंग की जाती रही।

जुलाई 2025 में उपभोक्ता के परिसर में स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया। स्मार्ट मीटर स्थापित होने के पश्चात उपलब्ध बिलिंग विवरण के अनुसार औसत खपत लगभग 824 यूनिट प्रतिमाह दर्ज की गई।

उक्त दोनों अवधियों की औसत खपत में अंतर पाया जाता है। अतः उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनर्गणना कर औसत खपत के उपयुक्त आधार एवं लागू नियमों के अनुसार आवश्यक संशोधन किया जाना उचित है।

6.2. पूर्व के महीनों में अधिक खपत की बिलिंग

उपभोक्ता के बिलिंग गणना पत्रक के अवलोकन से पाया गया कि जनवरी 2024, सितंबर 2024 एवं जनवरी 2025 में अपेक्षाकृत अधिक यूनिट की बिलिंग की गई थी। अनावेदकगण द्वारा उक्त महीनों में अधिक खपत दर्ज होने के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अथवा पर्याप्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

अधिक खपत की बिलिंग उचित रूप से प्रमाणित नहीं होती है, अतः उक्त महीनों की बिलिंग को 824 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर पुनर्गणित कर आवश्यक संशोधन किया जाना उचित होगा।

6.3. पावर फैक्टर अधिभार

अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता है कि मीटर खराब रहने की अवधि के दौरान उपभोक्ता के विद्युत कनेक्शन पर पावर फैक्टर अधिभार की बिलिंग की गई थी।

अतः मीटर खराब रहने की अवधि के दौरान लगाए गए पावर फैक्टर अधिभार को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित किया जाए।

7. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्नानुसार आदेश पारित करता है :–

1. अनावेदकगण को निर्देशित किया जाता है कि मार्च 2025 से मई 2025 तक मीटर खराब रहने की अवधि में की गई बिलिंग की पुनर्गणना उपलब्ध अभिलेखों, उपयुक्त खपत आधार एवं लागू नियमों के अनुसार कर संशोधित विद्युत देयक जारी करें।

2. अनावेदकगण जनवरी 2024, सितंबर 2024 एवं जनवरी 2025 में की गई बिलिंग को 824 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर पुनर्गणित कर लागू नियमों के अनुसार संशोधित करें।

3. अनावेदकगण द्वारा मीटर खराब रहने के अवधि में लगाए गए पावर फैक्टर अधिभार की राशि को निरस्त कर नियमानुसार समायोजित करें।

4. उपर्युक्त संशोधनों के पश्चात यदि उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा अथवा वसूल होना पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी विद्युत देयकों में समायोजन किया जाए।

5. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग का विस्तृत गणना पत्रक तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट आदेश की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

6. उपर्युक्त निर्देशों के साथ प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

7. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह आदेश की तारीख से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

8. आदेश पारित।

9. प्रकरण निराकृत।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. राजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग